

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 06.10.2016 को अवैध निर्माणों के विरुद्ध जोन-3 के अन्तर्गत गोविन्दपुर, शिवकुटी, चांदपुर सलोरी, कैलाशपुरी व बघाड़ा आदि क्षेत्रों में कुल 15 अवैध निर्माणों पर व्यापक कार्यवाही की गयी, जिसमें 10 अवैध निर्माणों को सील करते हुए 05 हो रहे अवैध निर्माणों से निर्माण सामग्री को जब्त कराते हुए अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण न करें। सील किये गये अवैध निर्माणों का विवरण निम्नवतः है :-

1. श्री के०के०त्रिपाठी, कैलाशपुरी, चांदपुर सलोरी, इलाहाबाद।
2. श्री बचई शुक्ला, श्री श्याम शुक्ला गोविन्दपुर पावर हाउस के पास, इलाहाबाद।
3. श्रीमती मालती श्रीवास्तव, म० नं० 479/11-3 कैलाशपुरी गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
4. श्री संदीप कुमार, कैलाशपुरी गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
5. श्री सुरेन्द्र कुमार साहू, एल०आई०जी०-261, गोविन्दपुर, इलाहाबाद।
6. श्री रंजीत कुमार, म०नं० 48/42ए, बड़ी बगिया लाला की सरैया, इलाहाबाद।
7. श्री भइयन यादव, राम प्रिया रोड, बघाड़ा, इलाहाबाद।
8. श्री विजय पाल यादव, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद।
9. श्री गुलाब चन्द्र पाल, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद।
10. श्री राकेश कुमार गुप्ता, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद।

उक्त कार्यवाही उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्र पाण्डेय के निर्देश पर जोनल अधिकारी डॉ० विश्राम के नेतृत्व में की गयी। अभियान में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री डी०के०पाण्डेय एवं भवन निरीक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय सम्मिलित थे। जोनल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियान निरन्तर जारी रखा जायेगा।

(डॉ० विश्राम),

पी०सी०एस०

विशेष कार्याधिकारी / जोनल अधिकारी,

प्रतिलिपि : सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित, कि विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


विशेष कार्याधिकारी / जोनल अधिकारी-3

